



2026:AHC:15705

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 1986 सन् 2026

सर्वेश कुमार याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मनोज कुमार, सौरभ राज

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी पक्ष को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार न्यायिक, तहसील मोरटिंगंज, जिला आजमगढ़ को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के तहत उत्परिवर्तन वाद संख्या 1676/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202515060801676) (श्रीमती सुनीता बनाम सर्वेश कुमार) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय एक निश्चित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के भीतर उत्परिवर्तन के निर्विवाद मामले का और उत्परिवर्तन के विवादित मामले का 90 दिनों के भीतर निर्णय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।"

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार न्यायिक, तहसील मोरटिंगंज जिला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले का निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"